



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर

क्रमांक : एफ8 ()/उपा.गै./जननि/2022/LK/1673

दिनांक :- 06/01/2023

अडेण्डम

(ई-निविदा संख्या 53-57/2022-23)

दिनांक 14.12.2022 को ई-निविदा संख्या 53-57/2022-22 की निविदा की प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी। मीटिंग में कुछ फर्मों द्वारा उक्त निविदा के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। फर्मों द्वारा दिये गये सुझावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

क्र० सं०	प्रस्तुत सुझाव का विवरण	समिति निर्णय
1	पेज नम्बर 3 शर्त संख्या 2 में 2022 या इससे ऊपर के साधन मांगे गए हैं। हमारा सुझाव है कि इससे कम से कम 2020 या इससे ऊपर के साधन मान्य किये जाये जिससे पेनल्टी ना लगे।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
2	निविदा में कार्य समय अवधि 1 वर्ष दी हुई है लेकिन इस निविदा में जो साधन लगने हैं उसको इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है इसलिए निविदा में कार्य की समयावधि कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए ताकि जो फर्म इस मात्रा में इन्वेस्टमेंट करे उसकी भरपाई हो सके।	स्वीकार है। उक्त निविदा तीन वर्ष (1+1+1) हेतु मान्य होगी।
3	ईएमडी में एमएसएमई (MSME) फर्म को छूट का प्रावधान किया जाए।	आरटीपीपी के नियमानुसार छूट देय होगी।
4	वाहनों के लिए पार्किंग हेतु जगह उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम की रहेगी।	अस्वीकार है।
5	नगर निगम प्रोजेक्ट द्वारा अगर इसी कार्य की ई-निविदा प्रकाशित करता है तो संचालित कार्य को संचालन कब तक करना है इसका खुलासा किया जावे।	संबंधित स्वीकृत फर्म को उक्त कार्य का कार्यादेश जारी किये जाने पर निविदा शर्तों अनुसार अनुबन्ध अवधि हेतु कार्य करना होगा।
6	उपरोक्त कार्य में सुबह तथा सांयकालीन में लगाये जाने वाले कुल कितने हॉपर की आवश्यकता है कृपा करके खुलासा किया जावे।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
7	हॉपर पर लगाये जाने वाले तथा स्वीपिंग वेस्ट हेतु हेलपर कौन मुहैया करायेगा यह सुनिश्चित करे।	निविदा की शर्तों के अनुसार प्रति हॉपर मय चालक मय हेलपर निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
8	उपरोक्त कार्य की अंदाजित बजट कम है।	अस्वीकार है।
9	नगर निगम द्वारा कबरा ट्रांसफर तक 4 ट्रिप तथा आरसी वाहन तक 6 ट्रिप लगाने तथा प्रति ट्रिप 1 टन औसतन माना है। उससे कम वजन पर 500 प्रतिट्रिप कटौती प्रस्तुत की है। इस शर्तों में फर्म अवगत कराना चाहती है कि वाई के कचरा नही होने पर वाहन द्वारा ट्रिप व वजन की पूर्ति नही होने पर कार्य पूर्ण करने पर ट्रिप/वजन में छूट देने का श्रम करावें।	स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक फील्ड स्टॉफ के कार्य पूर्ण होने के लिखित प्रमाण पत्र पर अन्तिम ट्रिप वजन कटौती नही होगी किन्तु ऐसी परिस्थिति में फर्म द्वारा नवीन संशोधित रूट चार्ट हेतु पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
10	नगर निगम द्वारा डीजल की दरों में वृद्धि हेतु 20 प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन होने किया गया है। फर्म द्वारा मांग की जाती है कि डीजल दरों में वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन होना चाहिए।	उक्त शर्त विलोपित की जाती है तथा उक्त शर्त क्रम संख्या 15 में समाहित है।
11	इस कार्य हेतु आवश्यक संख्या का 50 प्रतिशत ऑटो हॉपर स्वयं या किराये पर लेने का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना बताया है। फर्म इस विषय में भाग करती है कि नगर निगम द्वारा 2022 मॉडल वाहनों की मांग की गई है तथा जिस वजन /माप की मांग की गई है। वह वाहन बाजार में नही होने के कारण 50 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत माने क्योंकि यदि फर्म की निविदा स्वीकृति होती है तो फर्म सभी वाहन नये तथा 2022-23 के मॉडल कम करके कार्य शुरू करेगी।	उक्त कार्य के ऐलिजिबिल्टी क्राइटेरिया के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार निविदादाता के अनुभव क्षमता की दृष्टि से 50 प्रतिशत वाहनों (जिसमें मॉडल शर्त बंधनकारी नही होगी) के दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को समस्त नवीन वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। जिसमें 50 प्रतिशत हॉपर वाहन स्वयं के स्वामित्व के होंगे। इन समस्त वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा।

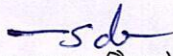
12	वाहन के आयतन को 1.8 से 2.4 घनमीटर तक रखा जावे।	निविदा की शर्तों में सम्मिलित 2.4 घनमीटर आयतन (भरने की अधिकतम ऊंचाई 1.5 मीटर) वाले हॉपर वाहनों में सैद्धान्तिक तौर पर लगभग 1200 किलोग्राम (नगरीय कचरे का घनत्व 500 किलोग्राम प्रतिघनमीटर के आधार पर) परिवहन किया जा सकता है। प्रायोगिक तौर पर प्रत्येक ट्रिप अधिकतम मात्रा में कचरा परिवहन नहीं होने के दृष्टिगत औसतन 900 किलोग्राम प्रतिट्रिप का प्रावधान रखा गया है। वाहनों में औसतन 900 किलोग्राम से कम वजन परिवहन होने पर निविदा शर्तों अनुसार कटौती लागू होगी।
13	वाहन में गीला और सूखा कचरा पृथक पृथक संग्रहण में 40 प्रतिशत तक वाहनों में छूट प्रदान की जावे क्योंकि रोड व गलियों में झाड़ू लगाने कार्य करने के बाद कचरा एकत्र कर हॉपर में डाला जायेगा तो उस हॉपर में गीला व सूखा कचरा संग्रहण नहीं किया जा सकेगा।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
14	प्रत्येक हॉपर द्वारा केवल एक पारी ही सुबह 7 बजे से दोहपर 3 बजे तक ही कार्य करवाया जाये। व्यवसायिक बाजारों में कचरा संग्रहण हेतु अतिरिक्त हॉपर सांय की पारी में अलग से लिये जाये।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
15	उक्त कार्य का कायदेश 3 वर्ष की अवधि के लिए दिया जावे एवं हर साल निविदादाता द्वारा डाली गई दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।	स्वीकार है। उक्त निविदा तीन वर्ष (1+1+1) हेतु मान्य होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष स्वीकृत दरों में 5 प्रतिशत की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वृद्धि की जावेगी।
16	40 किमी से अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान 10 रु. प्रतिकिमी किया जावे।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
17	नियम 7 :- आपने बताया डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान हूपर हर ट्रिप में औसतन 1000 किलो कचरा परिवहन करना होगा। संशोधन करना :- ऐसा इसलिये संभव नहीं है क्योंकि हूपर्स की कचरा संग्रहण क्षमता औसतन 600 से 700 किलोग्राम है।	निविदा की शर्त में संशोधन करते हुए प्रतिहॉपर प्रतिट्रिप में औसतन 900 किलो कचरा परिवहन करना होगा।
18	सामान्य नियम एवं शर्तें नियम संख्या 5 :- आपने उल्लेख किया है कि सभी पात्र एवं सहमत निविदादाताओं में से वाहनों की आवश्यकता पडने पर वाहनों की आपूर्ति हेतु कायदेश दिया जा सकेगा। यदि फर्म आवश्यकता के अनुसार वाहन प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो रिस्क और कॉस्ट पर वाहन बाजार या अन्य विक्रेताओं से वाहन लेगे। जिसके लिए फर्म नहीं कर सकती। यदि इनकार किया जाता है तो बिलिंग में राशि काट ली जावेगी। संशोधन करना :- हम अवगत करना चाहेंगे कि हूपर बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। चूंकि इसको बनवाना पडता है और समय लेने वाली प्रक्रिया है। हम वाहन उपलब्ध करायेगे पेनल्टी प्वाइंट को हटाने की जरूरत है लेकिन उसी के लिए कुछ समय चाहिए।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।
19	नियम 15 or 23 :- आपने उल्लेख किया है कि लॉगबुक प्रतिदिन पार्षद द्वारा प्रमाणिकरण की जाएगी उसके बाद संबंधित उपायुक्त/शाखा प्रभारी/प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाने होंगे। संशोधन करना :- हम अवगत करना चाहेंगे कि ऐसे कई मौके होंगे जहां पार्षद हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अतः हम आपसे पार्षद साईन पाईट को हटाने का अनुरोध करते हैं।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।

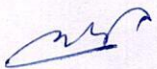
1	तकनीकी में सुधार किया जावे	निविदादाता फर्म को फर्म के पिछले तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही उक्त कार्य की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत टर्न ओवर होना आवश्यक है।
	a) बोलीदाता के पास पिछले 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए व पिछले 3 वर्षों की टर्नओवर बिड कोस्ट के समान होनी चाहिए।	
	b) फर्म की सीसी लिमिट 03 करोड होनी चाहिए।	अस्वीकार है।
	c) बोलीदाता को पिछले वर्ष 2021-22 के लिये नेट प्रोफिट (आफ्टर टैक्स) न्यूनतम 1.50 करोड रुपये और बोलीदाता का नेट प्रोफिट 8 करोड रुपये होना चाहिए।	
	d) बोलीदाता किसी भी राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के साथ एक पंजीकृत कम्पनी/एनजीओ प्रोपराईटर फर्म होनी चाहिए।	निविदा की शर्तों के अनुसार मान्य होगा।

- शेष शर्तें यथावत रहेगी।

प्रतिलिपि :-

- 1- ओसवाल डाटा, ननिज।
- 2- गार्ड फाईल।


उपायुक्त (गैराज)
नगर निगम जयपुर


उपायुक्त (गैराज)
नगर निगम जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION GREATER JAIPUR

(Pandit Deendayal Upphadaya Bhawan, Lal Khoti, Tonk Road, Jaipur-302015, Raj.)

S. No: F8()/DC (G)/NNJ/2022/ 214/595

Dated 02/12/2022

E- Tender-NIT No. 57

Online tenders are invited as per following detail from experienced, technically and financially sound reputed contractors who are registered in any of the central govt. Deptt./state govt. Deptt./local body/RUIDP/ADB funded project/world bank funded projects fulfilling eligibility criteria as describe in technical bid" of tender document.

S. No	Particular	Detail
1	Name of work	नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विद्याधर नगर जोन में घर-घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य हेतु ऑटो हॉपर आपूर्ति कार्य
2	Cost of tender document (non-refundable) In favor of municipal corporation Jaipur, payable at Jaipur	Rs. 5000
3	Risl processing fee (non-refundable) In Favor of Managing Director RISL, payable at Jaipur	Rs. 1000
4	Estimated project cost	Rs. 4.02 Crore
5	Earnest money deposit (2%)	Rs. 08.04 Lacs
6	Tender Publication on official web site http://eproc.rajasthan.gov.in	05-12-2022, 05 PM
7	Tender download start date	05-12-2022, 06 PM
8	Pre Bid Meeting	14-12-2022, 02 PM
9	Bid Submission start date	21-12-2022, 05 PM
10	bid submission End date	04-01-2023, 04 PM
11	Technical bid opening date/time	04-01-2023, 05 PM

Note :

1. Tenderer are to be submitted online in electronic format on web site (<http://eproc.rajasthan.gov.in>).
2. It for any reason government holiday is declared on the opening of technical/financial bid date, the tenders shall be opened on the next working date at the same time and place.
3. Municipal Corporation Greater Jaipur reserve the right to cancel all or any bid without assigning any reason here of.
4. Interested bidders may obtain further information from the office of Dy. Commissioner (Garage) Municipal Corporation Greater Jaipur.
5. Bid Validity 180 Days (6 month)

Dy. Commissioner (Garage)
Municipal Corporation Greater Jaipur